कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, बांका

(आम सूचना)

पूनम कुमारी वि0 प्र0 से0
अनमंडल पदाधिकारी,बांका

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका अनुमंडल अन्तर्गत निम्नांकित सैरातों की वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोवस्ती हेतु आम डाक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में दिनांक– **26.03.2018 को अपराह्न 3.00 बजे** में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक– **27.03.2018** को निर्धारित स्थान एवं समय डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक– **28.03.2018** को निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जायेगी :–

क्र0 सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	अंचल का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मालबथान हाट	70093	7010	कटोरिया
2	जमदाहा राजस्व हाट	56350	5635	कटोरिया
3	बामदेव हाट	66700	6670	रजौन
4	राजावर हाट	46345	4635	रजौन
5	केड़िया हाट	61525	6153	फुल्लीडुमर
6	राजस्व हाट शंभूगंज	90850	9085	शंभूगंज
7	राजस्व हाट कसबा	78028	7803	शंभूगंज
8	राजस्व हाट प्रतापपुर	56005	5600	शंभूगंज
9	राजस्व हाट भरतशीला	30993	3100	शंभूगंज

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में अनुमंडल नजारत शाखा, बाँका में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
2. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं निबंधन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क, डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।
5. उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।
6. डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई–भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी।
7. हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था करना बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी। हाट में किसी राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। हाट में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा हाट में अस्थायी/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
8. स्थानीय निबंधन सहयोग समिति ग्राम पंचायत यदि सुरक्षित जमा पर बन्दोवस्ती लेना चाहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए उन्हें सक्षम पदाधिकारी के अनुशंसा एवं संबंधित पदाधिकारी से बकाया नहीं रहने संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ डाक में भाग लेना होगा।
9. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में हाट के बन्दोबस्तधारी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दें। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं जिला के वेबसाईट **http:\\banka.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

6/3/18

अनुमंडल पदाधिकारी
बाँका